(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 15/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री गिरिराज पोरवाल पुत्र श्री जमना लाल पोरवाल उम्र 52 वर्ष जाति पोरवाल निवासी बी–12 शिवाजी नगर बारां(मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स श्री कृष्णा मावा सप्लायर्स, दीन दयाल पार्क बारां।
2. श्री मनमोहन नागर पुत्र लीलाधर नागर निवासी धाकड़ मौहल्ला ठुसरा, गजनपुरा बारां। मैसर्स मोहित सेल्स, शॉप नं0 13, धाकड़ छात्रावास, कॉलेज रोड बारां।
3. श्री सुनिल हेमनानी पुत्र श्री भागचन्द हेमनानी, निवासी 181, शॉपिंग सेन्टर कोटा। मैसर्स मोहित एजेन्सी, 181, शॉपिंग सेन्टर कोटा।
4. श्री कैलाश कुकरेती पुत्र श्री देवानन्द कुकरेती निवासी बी–8/219, सेक्शन–5 रोहिणी, दिल्ली 110085(नोमिनी) मैसर्स बीकानेरवाला फुडस प्राइवेट लिमिटेड, खसरा नं0 290 ग्राम सूरजपुर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश।
5. बीकानेरवाला फुडस प्राइवेट लिमिटेड, खसरा नं0 290 ग्राम सूरजपुर ग्रेटर नोएडा मैसर्स उत्तरप्रदेश।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (I I) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– अप्रार्थी स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 1 व 2)
3– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 3, 4 व 5)

निर्णय दिनांक 13.07.2020

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.10.2018 को मैसर्स श्री कृष्णा मावा सप्लायर्स, दीन दयाल पार्क बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री गिरिराज पोरवाल पुत्र श्री जमना लाल पोरवाल (मौके पर मौजूद मालिक एवं विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 25.10.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएच/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:41:48 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (बीकानो) 1.25 कि.ग्रा. टिन पैक** में विक्रय के लिए रखे हुए था, मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (बीकानो) में मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (बीकानो) 1.25 कि.ग्रा.** के 04 **मूल पैकेट** विक्रेता से वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को 580/– रूपये (अक्षरे पाँच सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय ने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **रसगुल्ला (बीकानो) 1.25 कि.ग्रा.** के 04 पेक मूल डिब्बों को ही चार नमूना भाग में अलग–अलग कर **मूल पैकेट** पर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. के लेबल चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 ए.एच.–859 चारों नमूना भाग पर उपर से नीचे तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा एवं डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/205 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 622/FSSA/Kota/Act/2018/652 दिनांक 06.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **रसगुल्ला (बीकानो) 1.25 कि.ग्रा. टिन पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:41:48 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण अनुसंधान हेतु मैसर्स श्री कृष्णा मावा सप्लायर्स, दीन दयाल पार्क बारां से फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना रजि0 पत्र एफएसएसए/2018/208 दिनांक 19.11.2018 द्वारा चाही गई, जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स श्री कृष्णा मावा सप्लायर्स, द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल कार्यालय में पेश किया गया। जिसके पश्चात् मैसर्स नागर सेल्स, शॉप नं0 13, धाकड़ छात्रावास, कॉलेज रोड बारां से फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना रजि0 पत्र एफएसएसए/2018/268 दिनांक 21.1.2019 एवं 27 दिनांक 31.01.2019 द्वारा चाही गई, जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स मोहित एजेन्सीज,

द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी, ड्राइविंग लाइसेंस एवं क्रय बिल कार्यालय में पेश किया गया तथा मैसर्स बीकानेरवाला फुडस प्राइवेट लिमिटेड, खसरा नं0 290 ग्राम सूरजपुर ग्रेटर नोएडा उत्तरप्रदेश से फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना रजि0 पत्र एफएसएसए/2019/43 दिनांक 07.02.2019, 67 दिनांक 06.03.2019 एवं 87 दिनांक 26.03.2019 द्वारा चाही गई, जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स बीकानेरवाला फुडस प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा केन्द्रीय खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं नोमिनि फॉर्म नं0 9 कार्यालय में पेश किया गया। जिसमें श्री कैलाश कुकरेती पुत्र श्री देवानन्द कुकरेती निवासी बी–8/219, सेक्शन–5 रोहिणी, दिल्ली 110085(नोमिनी) होना पाया गया। समस्त दस्तावेज न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.6.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 स्वयं उपस्थित रहे। अप्रार्थी क्रम 3, 4 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (बीकानो) 1.25 कि.ग्रा. टिन पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf) (C) (i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis branded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के द्वारा कहा गया कि मेरी दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **रसगुल्ला (बीकानो)** 1.25 कि.ग्रा. टिन पैक के 4 पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदे थे। जिसके मेरे द्वारा क्रय किए गए रसगुल्ला (बीकानो) के बिलों की प्रतियाँ पत्रावली में संलग्न है और जाँच रिपोर्ट में **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया, जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की कोई त्रुटि नहीं है। अप्रार्थी क्रम 5 की त्रुटि है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 622/FSSA /Kota/Act/2018/652 दिनांक 06.11.2018 से असन्तुष्ट थे तो वे अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:41:48 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (बीकानो)** 1.25 कि.ग्रा. टिन पैक के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 622/FSSA /Kota /Act /2018/652 दिनांक 06.11.2018 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)**

होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 प्रत्येक अप्रार्थी को 3000/—रूपये, अप्रार्थी क्रम 5 को 10,000/— रूपये प्रकरण में कुल जुर्माना राशि 22,000/— रूपये (अक्षरे बाईस हजार रूपये मात्र) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 3, 4 व 5 इस न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2020 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:41:48 IST
Reason: SelfAttested